



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. :982/2020

दिनांक/Date : 27/11/2020

संवाद-64

विषय :- आयोग की परीक्षाओं में शुचिता हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ध्यान रखे जाने वाली बातें।

प्रिय अभ्यर्थियों,

आप विदित हैं कि आयोग परीक्षाओं की शुचिता बनाये रखने के लिए अनवरत रूप से प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही समय-समय पर पुलिस के सहयोग से शुचिता बाधित करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही कर रहा है।

इसी क्रम में गत परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर दिनांक 23-11-2020 को आयोग द्वारा इस मामले में एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है। इसमें परीक्षा तिथि को आयोग की परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों व कुछ नई व्यवस्थाओं का उल्लेख विस्तार से किया गया है। इस कार्यालय ज्ञाप की एक प्रति इस संवाद के साथ संवाद पृष्ठ पर दी जा रही है। कृपया इसे सावधानीपूर्वक पढ़कर इसका अनुपालन करने का कष्ट करें। संक्षेप में आप अब आगामी 29 नवम्बर, 2020 की परीक्षा तथा भविष्य की परीक्षाओं में निम्न सावधानियां रखें :-

1. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र पर अंकित समय पर पहुंचे व आपको साथ में प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, दो फोटो व एक फोटोयुक्त आई0डी0 व कोरोनाकाल तक फेस मास्क अनिवार्य है।
2. अब आपकी चैकिंग (संरक्षा जांच) HHMD (हैंडलैंड हैंडिल मैटल डिटेक्टर) से होगी। अतः पेन सहित कोई भी धातु की सामग्री या ज्वेलरी परीक्षा कक्ष में न ले जायें। महिलायें मंगलसूत्र ला सकती हैं। इसके साथ ही जैकेट, धातु के बटन या जूते या ऊंची एडी के जूते न लायें। कोई अनावश्यक आभूषण या ताबीज आदि भी प्रतिबंधित हैं।
3. अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में कोई पेन नहीं ले जाना है। पेन आयोग की ओर से दिया जायेगा व उत्तर पत्रक में उसी का उपयोग किया जायेगा। ओ0एम0आर0 सीट पर किसी अन्य पेन का प्रयोग वर्जित है।
4. कोई भी अन्य प्रतिबंधित सामग्री यथा मोबाईल फोन, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कैल्कुलेटर, सफेदा, ब्लेड, पेंसिल, रबड़ आदि अपने पास न रखें।
5. आयोग ने यह भी नया निर्णय लिया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक (OMR sheet) पर सफेदा का प्रयोग किया जायेगा तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता

6. परीक्षा प्रारंभ होने पर परीक्षार्थी को अपरिहार्य होने पर ही टायलेट जाने की अनुमति होगी अन्यथा 2 घण्टे की अवधि तक उन्हें अपनी सीट पर ही बैठे रहना है।
7. बायोमैट्रिक प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना अनिवार्य है अन्यथा वे अनुपस्थित माने जायेंगे।
8. कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष में आपके व्यवहार को भी देखेंगे। संदिग्ध व्यवहार या अमर्यादित आचरण आपके अभ्यर्थन निरस्त करने का कारण हो सकता है।
9. कोविड संक्रमण के कारण छोटी पारदर्शी बोतल में हैण्ड सेनिटाइजर व पारदर्शी बोतल में पीने के लिए पानी लाने की भी अनुमति दी गई है। अतः अग्रिम आदेशों तक ये वस्तुयें भी परीक्षा कक्ष में ले जायी जा सकती हैं।
10. OMR sheet की प्रथम व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को देना सुनिश्चित करें अन्यथा आपका परिणाम शून्य हो सकता है
11. परीक्षा केन्द्र के बाहर या अन्दर प्रत्येक दशा में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने का कष्ट करें।

अतः कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कर आयोग को शुचितापूर्ण चयन में सहयोग करने का कष्ट करें। आयोग द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन को अन्यत गंभीरता से लिया जायेगा। अतः इनका अनुपालन करें।

आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ।


(संतोष बजनी)
सचिव